

SIV No. Q.1./2024



उत्तर मध्य रेलवे

सतर्कता शाखा
VIGILANCE BRANCH
उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय
NORTH CENTRAL RAILWAY HEADQUARTER OFFICE,
सूबेदारगंज, इलाहाबाद-211033
SUBEDARGNJ, ALLAHABAD-211033

पत्र सं :- 20221202021/PC//V1/N/JHS

दिनांक :- 03/01/2024

प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता
उत्तर मध्य रेलवे
प्रयागराज

विषय:- C&W में कार्यरत निविदाकर्मियों के श्रमिक कल्याण पोर्टल से संबंधित कार्यों में पायी गयी अनियमितताओं के लिए "प्रणाली सुधार" ।

सतर्कता दल द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले एक मण्डल में किए गए सतर्कता निवारक जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया की contractor द्वारा monthly bills के लिए प्रस्तुत दस्तावेज़ में वास्तविक निविदा कर्मियों के नाम ही नहीं हैं एवं निविदा कर्मियों के कार्य करने के उपरांत भी ESIC में On leave व शून्य कार्य दिवस दस्तावेज़ में mentioned हैं जिसका बिल पास हो चुका है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है की निविदाकर्मियों को मिनिमम wages नहीं प्राप्त हो रहा है।

अतः इस प्रकार फ़र्म द्वारा प्रस्तुत गलत दस्तावेज़ के verification में अनियमितता को नियंत्रित करने हेतु प्रणालीगत सुधार के लिए सिफारिश निमन्वत हैं।

" सभी बिल्ल्स के भुगतान पूर्व श्रमिक कल्याण पोर्टल की माहवार दर्ज प्रविष्टि को प्रस्तुत दस्तावेज़ से संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा मिलान करना चाहिए एवं श्रमिक कल्याण पोर्टल की माहवार दर्ज प्रविष्टि को संबंधित पर्यवेक्षक की भी निगरानी में होना चाहिए जिससे वास्तविक रूप से कार्यरत निविदा कर्मियों की सही प्रविष्टि पोर्टल में दर्ज हो सके एवं प्रत्येक निविदाकर्मी को उसका वेतन सुनिश्चित हो सके। "

उपरोक्त "प्रणाली सुधार" हेतु वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक जी द्वारा अनुमोदित है।

Harish

(हरीश कुमार)

उप मुख्य सतर्कताधिकारी /यांत्रिक
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता